परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

संख्याः 531 सीएचक्यू/23–32(1) सीएचई/13 दिनांकः 20 फरवरी, 2023

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक),
समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रभारी प्रधान प्रबन्धक,
प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर,
समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
प्रबन्धक, कार सेक्शन/केन्द्रीय भण्डार, लखनऊ
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः विधान सभा का वर्ष 2023 का प्रथम सत्र दिनांक 20.02.2023 से आहूत होने के दृष्टिगत, अधिकारियों के मुख्यालय न छोड़ने के सम्बन्ध में।

Downloaded From
www.upsrtc.up.gov.in

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि विधान सभा का वर्ष 2023 का प्रथम सत्र दिनांक 20.02.2023 से प्रारम्भ होने जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अधिकारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ा जा सकेगा।

विधान सभा प्रथम सत्र 2023 आहूत होने की अवधि के मध्य अधिकारियों के पूर्व में स्वीकृत किये गये अवकाश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(रामसिंह वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विधि परामर्शदाता/वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय।
2. सम्बन्धित अधिकारी।
3. कम्प्यूटर सुपरवाइजर, परिवहन निगम मुख्यालय।
4. अध्यक्ष/प्र0नि0/अ0प्र0नि0/मु0प्र0प्र0(प्रशासन) कैम्प, निगम मुख्यालय।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड पत्रावली।

(रामसिंह वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)